कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू (राज.)

क्रमांक / लेखा / 2022–23 / 169 दिनांक : 01-07-22

खुली निविदा सूचना संख्या 1 / 2022–23

जिला एवं सेशन न्यायालय, झुंझुनू में स्वीकृत निम्न सामग्री हेतु सवाकर GST अधिनियम 2017 में फर्मों / विनिर्माताओं / विकेताओं / डीलरों से निर्धरित प्रपत्र में मोहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र विकय की अन्तिम तिथि व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1.	फर्नीचर	300000	18.07.2022 05.00एएम	19.07.2022 1.30पीएम
2.	कम्प्यूटर मय प्रिन्टर	180000	18.07.2022 05.00एएम	19.07.2022 1.30पीएम
3.	फोटो स्टेट मशीन	75000	18.07.2022 05.00एएम	19.07.2022 1.30पीएम
4.	वातानुकुलित संयत्र (1.5 टन Split) मय स्टेबलाईजर	45000	18.07.2022 05.00एएम	19.07.2022 1.30पीएम

1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में लेखा शाखा में कैशियर से निर्धारित शुल्क रू 500 /–देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि का 2 प्रतिशत का डी.डी. / बैंकर्स चैक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू के नाम से जमा करानी होगी

3. निविदा का विस्तृत विवरण व शर्तें जिला न्यायालय झुंझुनू की वेब साईट www.ecourts.gov.in/jhunjhunu एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

अध्यक्ष कय कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
झुंझुनू

दिनांक : 01-07-22

क्रमांक / लेखा / 2022–23 / 169

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, झुंझुनू/ जिला कलेक्टर, झुंझुनूं/ कोषाधिकारी, झुंझुनू/ सूचना केन्द्र, झुंझुनू /समस्त तालुका मुख्यालय
2. सिस्टम ऑफिसर, अदालत हाजा निविदा अपलोड करने एवं समस्त तालुका मुख्यालय को मेल द्वारा सूचना बाबत
3. समाचार पत्र में विज्ञापन बाबत संपादक ....

अध्यक्ष कय कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
झुंझुनू

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू (राज.)

क्रमांक/लेखा /2022–23/ 170 दिनांक : 01-07-2022

निविदा प्रपत्र मूल्य 500/– (वापसी योग्य नहीं)

01. सामग्री का नाम	फर्नीचर, कम्प्यूटर मय प्रिण्टर, फोटो स्टेट मशीन, वातानुकुलित संयत्र(एसी)
02. निविदा प्रपत्र जिस फर्म के नाम जारी किया गया उसका नाम व डाक का पता	
03. अनुमानित राशि	6,00,000.00
04. अमानत राशि	2 प्रतिशत (रूपये–12,000.00)
05. निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 01.07.2022
06. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 18.07.2022 को शाम 05.00 बजे तक
07. निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 19.07.2022 को शाम 01.30 बजे

अध्यक्ष कय कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
झुंझुनू

निविदा के प्रतिबन्ध व शर्तें

निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर इन शर्तों के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें –

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें लेखा शाखा में देखी जा सकती है।
2. निविदायें पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद लिफाफे में भेजी जानी हैं। लिफाफे पर फर्नीचर/ कम्प्यूटर मय प्रिण्टर, फोटो स्टेट मशीन, वातानुकुलित संयत्र(एसी)हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिये। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
3. निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदायें दिनांक 19.07.2022 को शाम 1.30 बजे इच्छुक उपस्थित निविदादाओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जायेगी।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप दो प्रतिशत राशि बैंकर्स चैक, जो कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू के नाम से देय हो, के रूप में अमानत राशि हेतु निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता है या रूपान्तरण करता है या विहित करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता है या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये जाने अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
8. सभी असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात् लौटा दी जावेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।
9. सशर्त, अपूर्ण, भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली, अल्प वैधता वाली निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी।
10. निविदा प्रपत्र में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में बिना कांट–छांट स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये। कांट–छांट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी एवं दरें सभी करों सहित होनी चाहिये। सरकार द्वारा करों की दरें घटायें या बढ़ाये जाने की स्थिति में करों की घटी/बढ़ी दरें लागू होंगी तथा दरें गन्तव्य स्थान झुंझुनू मुख्यालय एवं ताल्लुका मुख्यालय तक एफओआर कोट की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागतें मय हैण्डलिंग चार्जेज समाहित होनी चाहिये।
11. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नंबर, बिकी कर पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये।
12. निविदादाता को निर्माता/अधिकृत विक्रेता/डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। निविदादाता को इस तरह के कार्य के लिये वांछित अनुभव के दस्तावेज संलग्न करने होंगे। अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रमाण पत्र में त्रुटि पाये जाने पर पांच प्रतिशत राशि दण्ड स्वरूप देनी होगी।
13. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात् 15 दिवस के भीतर नियमानुसार 05 प्रतिशत राशि प्रतिभूति डीडी द्वारा, जो कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू के नाम से देय हो, जमा करानी होगी जिसको पूर्व में जमा 2 प्रतिशत अमानत राशि से समायोजित किया जा सकेगा। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित राशि 500/– या मूल्य का 0.25 प्रतिशत के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
14. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही संपादित करेगा। निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के मद की सप्लाई का अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा/सबलैट नहीं करेगा।
15. कय समिति को कार्य की प्रकृति एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। कय समिति सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्तालाप/नेगोसियेशन के लिये बुलाने के लिये स्वतंत्र होगी।

16. यदि सम्बन्धि सामग्री की आपूर्ती संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, गुणबतापूर्ण सामग्री न होने व निर्धारित मापदण्डो के अनुसार नही होनी पाई जाति है सामग्री को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदलनी होगी तथा निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद केता अधिकारी निविदा/संविदा किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

17. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

18. प्राप्त निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का व स्वीकार करने का व कय की जाने वाली सामग्री की मात्रा में कमी व वृद्धि करने सामग्री को आदेशित करने या न करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

19. किसी भी विवाद की स्थिति में कय समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

20. यथा सम्भव न्यूनतम दर की निविदाओं को ही स्वीकार किया जावेगा। लेकिन इसके साथ ही समाग्री की गुणवता के आधार पर स्वीकृति का अंतिम निर्णय करने का अधिकार क्रय कमेटी को होगा। क्रय कमेटी न्युनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

21. निविदा खोले जाने की दिनांक को अवकाश घोषित हो जाने पर आगामी कार्य दिवस को खोले जावेगे।

22. निविदादाता को निर्माता/अधिकृत विकेता/डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

23. कय समिति को कार्य की प्रकृति/निविदा वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। कय समिति सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्तालाप/नेगोसियेशन के लिये बुलाने के लिये स्वतंत्र होगी।

24. निविदा में मांगी गई सामग्री का पूर्ण विवरण (मैक, स्पेसिफिकेशन आदि) देना होगा।

25. कय आदेश जारी किये जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी। माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं कार्यालय को होने वाली वित्तिय क्षति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। निविदा में वर्णित दरों के सम्बन्ध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

26. यदि केता अधिकारी निविदत्त सामग्री की खरीद नहीं करता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम कय करता है तो निविदादाता किसी प्रकार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। कय समिति विज्ञप्ति में दी गई मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करते हुये कय कर सकती है।

27. कयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर शास्ति (लिक्विडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी –

    1. विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये कयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।
    2. विदित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये कयादेश राशि का 5 प्रतिशत।
    3. विदित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये कयादेश राशि का 7.5 प्रतिशत।
    4. विदित सुपुर्दगी अवधि का तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये कयादेश राशि का 10 प्रतिशत।

28. सामग्री प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं शास्ति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

29. सप्लाई की गई सामग्री निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार नहीं होने की स्थिति मे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी अथवा उसका लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

30. आपूर्तिकर्ता फर्म को सप्लाई किये जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

31. निविदा के साथ सामग्री के नमूने/केटलोग संलग्न किये जाकर प्रस्तुत की जावे।

32. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधान यथा स्थान लागू होंगे।

अध्यक्ष कय कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय
झुंझुनूं

हम जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

(नियम 48–vII)

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेण्ट हूं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्रत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर फर्म मालिक/पार्टनर मय सील/निविदादाता

वास्ते
फर्म का नाम व पता
फर्म का स्टाम्प